

25/7/17

14

27.7.17

आवेदक - अनुपस्थित /

विपक्षी - अनुपस्थित /

आदेश एवं विपक्षी दोनों का अनुपस्थित

बाद में दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में इन्होंने

इस तरह पता लगाया है कि दोनों ही पक्षों

को बाद में कोई कतिबन्दी नहीं दी जा

बाद को कतिबन्दी की वजह से समाप्त

करना चाहें

27/7



C.C. No
235
247/17